

कार्यालय संयुक्त संचालक सह चिकित्सा अधीक्षक  
भारत रत्न स्व श्री अटल बिहारी बाजपेयी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय सम्बद्ध चिकित्सालय  
राजनांदगांव (छ.ग.)

246

27/07/23

॥ आदेश ॥

कार्यालयीन आदेश क्रमांक/कार्या/अस्पअधी/2023/123/राजनांदगांव दिनांक 02.05.2023 के अनुसार दिनांक 01.01.2020 से अब तक शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल राजनांदगांव में कार्यरत आयुष्मान योजना अंतर्गत प्रोत्साहन राशि हेतु पात्र अधिकारियों/कर्मचारियों की सूची उनकी एचआरआईएमएस आईडी/पदनाम सहित कार्यालय स्वास्थ्य चिकित्सा महाविद्यालय राजनांदगांव में चस्पा की गई थी तथा उक्त सूची को भारत रत्न स्व.श्री अटल बिहारी बाजपेयी स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय राजनांदगांव भी वेबसाइट पर चस्पा की गई थी। उक्त सूची पर दिनांक 10.05.2023 की शाम तक दावा-आपित्त आमंत्रित की गई थी।

उक्त दावा-आपित्त के तारतम्य में 73 आवेदन प्राप्त हुये थे। उक्त आवेदनों पर चिकित्सा महाविद्यालयों की कॉलेज कॉउन्सिल की बैठक में विचार विमर्श कर आवेदनों को निराकृत किया गया है।

निराकरण पश्चात दावा-आपित्त के निराकरण की सूची शासकीय चिकित्सालय महाविद्यालय राजनांदगांव के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जा रही है। तथा उक्त सूची को भारत रत्न स्व.श्री अटल बिहारी बाजपेयी स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय राजनांदगांव की website <https://www.abvmgmcrajnandgaon.ac.in> पर चस्पा की जा रही है।

१) संयुक्त संचालक सह चिकित्सा अधीक्षक  
भारत रत्न स्व.श्री अटल बिहारी बाजपेयी स्मृति  
चिकित्सा महाविद्यालय सम्बद्ध चिकित्सालय  
राजनांदगांव (छ.ग.)

कमांक/...../डी.के.बी.एस.एस.वपाय/जीएमसी/2023

दिनांक 27/07/23

प्रतिलिपि:

- 1 अधिष्ठाता महोदय, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय राजनांदगांव (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2 उपअधीक्षक स्थानीय कार्यालय की ओर सूचनार्थ।
- 3 वेबसाइट प्रभारी अधिकारी, चिकित्सा महाविद्यालय राजनांदगांव की ओर सूचनार्थ प्रेषित करते हुये लेख है कि उपरोक्त सूची को महाविद्यालय के वेबसाइट पर अपलोड करने का सुनिश्चित करे।
- 4 समस्त विभागाध्यक्ष चिकित्सा महाविद्यालय सम्बद्ध चिकित्सालय की ओर सूचनार्थ।
- 5 सहायक नर्सिंग अधीक्षक स्थानीय कार्यालय की ओर सूचनार्थ।
- 6 नोटिस बोर्ड चस्पा करने हेतु।
- 7 कार्यालयीन प्रति।

१) संयुक्त संचालक सह चिकित्सा अधीक्षक  
भारत रत्न स्व.श्री अटल बिहारी बाजपेयी स्मृति  
चिकित्सा महाविद्यालय सम्बद्ध चिकित्सालय  
राजनांदगांव (छ.ग.)

**Details of Dawa Appatti Received from various Deptt / Staff and Remarks on the same**

S.No.	Applicati on S.No.	Name	Post & Deptt	Objection Details	Remarks from Office
1	1	Veena Ekka	Nursing Sister	एच आरआई एम एस की सूची के अनुसार उनका पदनाम स्टाफ नर्स अंकित है । वह अपना पदनाम नर्सिंग सिस्टर अंकित कराना चाहती है ।	एचआरएमआईएस साइट में उनका पदनाम स्टाफ नर्स डीएमई अंकित है । इसलिये चस्पा कि गई सूची में उनका वही पदनाम अंकित किया गया है । एचआरएमआईएस साइट में अपना पदनाम नर्सिंग सिस्टर करवाने के लिये उन्हें कार्यालय डीन/संयुक्त संचालक, चिकित्सा महाविद्यालय राजनांदगाव में स्थापना शाखा में स्वयं सुधरवाना होगा ।
2	2	Dr.Divya Sahu	Prof PSM	कार्यालय संयुक्त संचालक सह अस्पताल अधीक्षक में चस्पा की गई एचआरआईएमएस सूची में सामुदायिक चिकित्सा विभाग के चिकित्सकों का नाम अंकित नहीं है । विभाग में कार्यरत चिकित्सों को द्वारा उनका नाम उक्त सूची में जोड़ने हेतु लिखा गया है ।	कार्यालय संयुक्त संचालक सह अस्पताल अधीक्षक में चस्पा की गई एचआरआईएमएस सूची में सामुदायिक चिकित्सा विभाग के चिकित्सकों का नाम अंकित नहीं है । यह इसलिये है क्योंकि यह सूची आयुष्मान भारत योजना अंतर्गत प्रोत्साहन राशि वितरण हेतु पात्र चिकित्सकों/कर्मचारियों की सूची है । यह प्रोत्साहन राशि उन्हीं चिकित्सकों/कर्मचारियों को दी जानी है, जिनके द्वारा मरीजों के उपचार संबंधित कार्य किया जाता है । इस विभाग के चिकित्सकों को प्रोत्साहन राशि हेतु पात्र
3		Dr.Dhiraj Bhavwnani	Asso Prof. PSM		
4		Dr.Rohit David	Asso Prof. PSM		
5		Dr.Daneshwar Singh	Asstt Prof PSM		
6		Dr.Jyotika Victor	Demo. PSM		
7	3	Dr.Monika Pradhan	Asso Prof. Anatomy	कार्यालय संयुक्त संचालक सह अस्पताल अधीक्षक में चस्पा की गई एचआरआईएमएस सूची में एनाटामी विभाग के चिकित्सकों/कर्मचारियों का नाम अंकित नहीं है । विभाग में कार्यरत चिकित्सकों को द्वारा उनका नाम उक्त सूची में जोड़ने हेतु लिखा गया है ।	कार्यालय संयुक्त संचालक सह अस्पताल अधीक्षक में चस्पा की गई एचआरआईएमएस सूची में एनाटामी विभाग के चिकित्सकों का नाम अंकित नहीं है । यह इसलिये है क्योंकि यह सूची आयुष्मान भारत योजना अंतर्गत प्रोत्साहन राशि वितरण हेतु पात्र चिकित्सकों/कर्मचारियों की सूची है । यह प्रोत्साहन राशि उन्हीं चिकित्सकों/कर्मचारियों को दी जानी है, जिनके द्वारा मरीजों के उपचार संबंधित कार्य किया जाता है । इस विभाग के चिकित्सकों को प्रोत्साहन राशि हेतु पात्र नहीं
8		Dr.Manjulata Ganware	Asstt Prof Anatomy		
9		Dr.Neeta Sahu	Demo. Anatomy		
10		Dr.Ajay Kumar	Demo. Anatomy		
11		Gaukaran Thakur	Poen Anatomy		
12	4	Dr.Shipra Das	Asstt Prof Physiology	कार्यालय संयुक्त संचालक सह अस्पताल अधीक्षक में चस्पा की गई एचआरआईएमएस सूची में फिजियोलॉजी विभाग के चिकित्सकों का नाम अंकित नहीं है । विभाग में कार्यरत चिकित्सों का द्वारा उनका नाम उक्त सूची में जोड़ने हेतु लिखा गया है ।	कार्यालय संयुक्त संचालक सह अस्पताल अधीक्षक में चस्पा की गई एचआरआईएमएस सूची में फिजियोलॉजी विभाग के चिकित्सकों का नाम अंकित नहीं है । यह इसलिये है । क्योंकि यह सूची आयुष्मान भारत योजना अंतर्गत प्रोत्साहन राशि वितरण हेतु पात्र चिकित्सकों/कर्मचारियों की सूची है । यह प्रोत्साहन राशि उन्हीं चिकित्सकों/कर्मचारियों को दी जानी है, जिनके द्वारा मरीजों के उपचार संबंधित कार्य किया जाता है ।
13		Dr.Chetan Chandrawanshi	Demo. Physiology		
14		Dr.Praveen Kumar Sahu	Demo. Physiology		
15		Dr.Vibha Singh	Demo. Physiology		
16		Ritesh Rangari	Chowkidar Physiology		
17	5	Smt. Tarsila Tirki (Tigga)	Nursing Sister	एच आरआई एम एस की सूची के अनुसार उनका पदनाम स्टाफ नर्स अंकित है । वह अपना पदनाम नर्सिंग सिस्टर अंकित कराना चाहती है ।	एचआरएमआईएस चस्पा की गई सूची में लिपिकीय त्रुटि से उनका पदनाम स्टाफ नर्स अंकित हो गया है । इसे सुधार कर नर्सिंग सिस्टर डीएमई कर दिया गया है ।
18	6	Smt. Kusumlata Sahu	Nursing Sister	एच आरआई एम एस की सूची के अनुसार उनका पदनाम स्टाफ नर्स अंकित है । वह अपना पदनाम नर्सिंग सिस्टर अंकित कराना चाहती है ।	एचआरएमआईएस साइट में उनका पदनाम स्टाफ नर्स डीएमई अंकित है । इसलिये चस्पा कि गई सूची में उनका वही पदनाम अंकित किया गया है । एचआरएमआईएस साइट में अपना पदनाम नर्सिंग सिस्टर करवाने के लिये उन्हें कार्यालय डीन/संयुक्त संचालक, चिकित्सा महाविद्यालय राजनांदगाव में स्थापना शाखा में स्वयं सुधरवाना होगा ।



23	11	Parminderjeet Kaur	Statistician MRD	कार्यालय संयुक्त संचालक सह अस्पताल अधीक्षक में चस्पा की गई एचआरआईएमएस सूची में का नाम अंकित नहीं है । कर्मचारी द्वारा उनका नाम उक्त सूची में जोड़ने हेतु तथा प्रोत्साहन राशि देने हेतु पत्र लिखा गया है ।	दिनांक 16.06.2023 को मेडीकल कॉलेज राजनांदगांव के कालेज कॉन्सील की बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार जिन कर्मचारियों का मरीज के उपचार में कोई भूमिका होती है उन्हें ही प्रोत्साहन राशि वितरण हेतु पात्र माना जाए तथा जिन कर्मचारियों का मरीज के उपचार में कोई भूमिका नहीं होती उन्हें प्रोत्साहन राशि वितरण हेतु अपात्र माना जाये । एमआर.डी के स्टैटिस्टीशियन को प्रोत्साहन राशि वितरण हेतु अपात्र माना गया है ।
24	12	Dilip Sahu	Pump Attendent	कार्यालय संयुक्त संचालक सह अस्पताल अधीक्षक में चस्पा की गई एचआरआईएमएस सूची में का नाम अंकित नहीं है । कर्मचारी द्वारा उनका नाम उक्त सूची में जोड़ने हेतु तथा प्रोत्साहन राशि देने हेतु पत्र लिखा गया है ।	दिनांक 16.06.2023 को मेडीकल कॉलेज राजनांदगांव के कालेज कॉन्सील की बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार जिन कर्मचारियों का मरीज के उपचार में कोई भूमिका होती है उन्हें ही प्रोत्साहन राशि वितरण हेतु पात्र माना जाए तथा जिन कर्मचारियों का मरीज के उपचार में कोई भूमिका नहीं होती उन्हें प्रोत्साहन राशि वितरण हेतु अपात्र माना जाये । पम्प अटेन्डेंट को प्रोत्साहन राशि वितरण हेतु अपात्र माना गया है ।
25	13	Smt.Manju Yennewar	Matron	कार्यालय संयुक्त संचालक सह अस्पताल अधीक्षक में चस्पा की गई एचआरआईएमएस सूची में का नाम अंकित नहीं है । कर्मचारी द्वारा उनका नाम उक्त सूची में जोड़ने हेतु तथा प्रोत्साहन राशि देने हेतु पत्र लिखा गया है ।	श्रीमती मंजू एनेवार की एचआरआईएम आईडी 09170010674 है । वो वर्तमान में जिला चिकित्सालय राजनांदगांव में मेटन के पद पर कार्यरत है । जिला चिकित्सालय राजनांदगांव व चिकित्सा महाविद्यालय राजनांदगांव के अलग होने के दिनांक तक उन्हें चिकित्सा महाविद्यालय राजनांदगांव से प्रोत्साहन राशि पात्र पाया गया है । उनका नाम एचआरआईएमएस की सूची में जोड़ा जा रहा है ।
26	14	Dayanand Gangber	Technical Asstt Biochemistry	कार्यालय संयुक्त संचालक सह अस्पताल अधीक्षक में चस्पा की गई एचआरआईएमएस सूची में का नाम अंकित नहीं है । कर्मचारी द्वारा उनका नाम उक्त सूची में जोड़ने हेतु तथा प्रोत्साहन राशि देने हेतु पत्र लिखा गया है ।	एचआरआईएमएस साफ्टवेयर में टेक्निकल असिस्टेंट डीएमई है । लिपिकीय त्रुटि में उनका नाम चस्पा सूची में अंकित होने से छुट गया है । उनका नाम एचआरआईएमएस की सूची में जोड़ा जा रहा है ।
27	15	Kamta Prasad Uike	ECG Technician	कार्यालय संयुक्त संचालक सह अस्पताल अधीक्षक में चस्पा की गई एचआरआईएमएस सूची में का नाम चतुर्थ कर्मचारियों के रूप में अंकित है । कर्मचारी द्वारा उनका नाम उक्त सूची में तृतीय श्रेणी में अंकित करने हेतु पत्र लिखा गया है ।	एचआरआईएमएस की सूची में उनका नाम तृतीय श्रेणी कर्मचारी के रूप में अंकित कर दिया गया है ।
28		Virendra Kumar Amariya	Carpainter		
29		Kanhaiya Lal Jangdey	Carpainter	कार्यालय संयुक्त संचालक सह अस्पताल अधीक्षक में चस्पा की गई एचआरआईएमएस सूची में कर्मचारियों का नाम अंकित	दिनांक 16.06.2023 को मेडीकल कॉलेज राजनांदगांव के कालेज कॉन्सील की बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार जिन कर्मचारियों का मरीज के उपचार में कोई भूमिका होती है

30	16	Smt Nitika Bhelwa	Tailor	कार्यालय संयुक्त संचालक सह अस्पताल अधीक्षक में चस्पा की गई एचआरआईएमएस सूची में का नाम अंकित नहीं है । कर्मचारी द्वारा उनका नाम उक्त सूची में जोड़ने हेतु तथा प्रोत्साहन राशि देने हेतु पत्र लिखा गया है ।	उन्हें ही प्रोत्साहन राशि वितरण हेतु पात्र माना जाए तथा जिन कर्मचारियों का मरीज के उपचार में कोई भूमिका नहीं होती उन्हें प्रोत्साहन राशि वितरण हेतु अपात्र माना जाये । ड्राइवरो को प्रोत्साहन राशि वितरण हेतु अपात्र माना गया है ।
31	17	Shiv Kumar	Pump Attendent	कार्यालय संयुक्त संचालक सह अस्पताल अधीक्षक में चस्पा की गई एचआरआईएमएस सूची में का नाम अंकित नहीं है । कर्मचारी द्वारा उनका नाम उक्त सूची में जोड़ने हेतु तथा प्रोत्साहन राशि देने हेतु पत्र लिखा गया है ।	दिनांक 16.06.2023 को मेडीकल कॉलेज राजनांदगांव के कालेज कॉन्सिल की बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार जिन कर्मचारियों का मरीज के उपचार में कोई भूमिका होती है उन्हें ही प्रोत्साहन राशि वितरण हेतु पात्र माना जाए तथा जिन कर्मचारियों का मरीज के उपचार में कोई भूमिका नहीं होती उन्हें प्रोत्साहन राशि वितरण हेतु अपात्र माना जाये । पम्प अटेन्डेंट को प्रोत्साहन राशि वितरण हेतु अपात्र माना गया है ।
32	18	Tukeshwar Sahu	Pump Attendent	कार्यालय संयुक्त संचालक सह अस्पताल अधीक्षक में चस्पा की गई एचआरआईएमएस सूची में का नाम अंकित नहीं है । कर्मचारी द्वारा उनका नाम उक्त सूची में जोड़ने हेतु तथा प्रोत्साहन राशि देने हेतु पत्र लिखा गया है ।	दिनांक 16.06.2023 को मेडीकल कॉलेज राजनांदगांव के कालेज कॉन्सिल की बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार जिन कर्मचारियों का मरीज के उपचार में कोई भूमिका होती है उन्हें ही प्रोत्साहन राशि वितरण हेतु पात्र माना जाए तथा जिन कर्मचारियों का मरीज के उपचार में कोई भूमिका नहीं होती उन्हें प्रोत्साहन राशि वितरण हेतु अपात्र माना जाये । पम्प अटेन्डेंट को प्रोत्साहन राशि वितरण हेतु अपात्र माना गया है ।
33	19	Smt. Renu Awasthi	Nursing Sister	एच आरआई एम एस की सूची के अनुसार उनका पदनाम स्टाफ नर्स अंकित है । वह अपना पदनाम नर्सिंग सिस्टर अंकित कराना चाहती है ।	एचआरएमआईएस चस्पा की गई सूची में लिपिकीय त्रुटि से उनका पदनाम स्टाफ नर्स अंकित हो गया है । इसे सुधार कर नर्सिंग सिस्टर डीएमई कर दिया गया है ।
34	20	Smt. N. Sharda	Nursing Sister	एच आरआई एम एस की सूची के अनुसार उनका पदनाम स्टाफ नर्स अंकित है । वह अपना पदनाम नर्सिंग सिस्टर अंकित कराना चाहती है ।	एचआरएमआईएस साइट में उनका पदनाम स्टाफ नर्स डीएमई अंकित है । इसलिये चस्पा की गई सूची में उनका वही पदनाम अंकित किया गया है । एचआरएमआईएस साइट में अपना पदनाम नर्सिंग सिस्टर करवाने के लिये उन्हें कार्यालय डीन/संयुक्त संचालक, चिकित्सा महाविद्यालय राजनांदगांव में स्थापना शाखा में स्वयं सुधरवाना होगा ।
35	21	Anuranjana Toppo	Staff Nurse	कार्यालय संयुक्त संचालक सह अस्पताल अधीक्षक में चस्पा की गई एचआरआईएमएस सूची में का नाम अंकित नहीं है । कर्मचारी द्वारा उनका नाम उक्त सूची में जोड़ने हेतु तथा प्रोत्साहन राशि देने हेतु पत्र लिखा गया है ।	यह कर्मचारी सिम्स बिलासपुर से 18.10.22 को स्थानान्तरण पश्चात चिकित्सा महाविद्यालय राजनांदगांव में आई है । इनका एचआरआईएमएस आईडी सिम्स बिलासपुर से राजनांदगांव स्थानान्तरित नहीं हुआ है । आई स्थानान्तरण पश्चात उनका नाम राजनांदगांव के एचआरआईएमएस में अंकित कर दिया गया है ।

36	22	Smt.Nirupama Rathore	Nursing Sister	एच आरआई एम एस की सूची के अनुसार उनका पदनाम स्टाफ नर्स अंकित है । वह अपना पदनाम नर्सिंग सिस्टर अंकित कराना चाहती है ।	एचआरएमआईएस साइट में उनका पदनाम स्टाफ नर्स डीएमई अंकित है । इसलिये चस्पा कि गई सूची में उनका वही पदनाम अंकित किया गया है । एचआरएमआईएस साइट में अपना पदनाम नर्सिंग सिस्टर करवाने के लिये उन्हें कार्यालय डीन/संयुक्त संचालक, चिकित्सा महाविद्यालय राजनांदगाव में स्थापना शाखा में स्वयं सुधरवाना होगा ।
37	23	Smt. Sunita Thakur	Nursing Sister	एच आरआई एम एस की सूची के अनुसार उनका पदनाम स्टाफ नर्स अंकित है । वह अपना पदनाम नर्सिंग सिस्टर अंकित कराना चाहती है ।	एचआरएमआईएस चस्पा की गई सूची में लिपिकीय त्रुटि से उनका पदनाम स्टाफ नर्स अंकित हो गया है । इसे सुधार कर नर्सिंग सिस्टर डीएमई कर दिया गया है ।
38	24	Smt. Shashikala Sinha	Nursing Sister	एच आरआई एम एस की सूची के अनुसार उनका पदनाम स्टाफ नर्स अंकित है । वह अपना पदनाम नर्सिंग सिस्टर अंकित कराना चाहती है ।	एचआरएमआईएस चस्पा की गई सूची में लिपिकीय त्रुटि से उनका पदनाम स्टाफ नर्स अंकित हो गया है । इसे सुधार कर नर्सिंग सिस्टर डीएमई कर दिया गया है ।
39	25	Dr.Yamini Rawate	Asso Prof Ophthalmology	चस्पा की गई एचआरआईएमएस सूची में उनका पदनाम असिस्टेंट प्रोफेसर अंकित किया गया है । वे एसोसियेट प्रोफेसर के पद पर पदोन्नत हो चुकी है और एचआरआईएमएस सूची में अपना पदनाम एसोसियेट प्रोफेसर अंकित कराना चाहती है ।	एचआरआईएमएस सूची में इनका पदनाम एसोसियेट प्रोफेसर कर दिया गया है ।
40	26	Dr. Somya Dulani	Prof Ophthalmology	चस्पा की गई एचआरआईएमएस सूची में उनका पदनाम एसोसियेट प्रोफेसर अंकित किया गया है । वे प्रोफेसर के पद पर कार्यरत है और एचआरआईएमएस सूची में अपना पदनाम प्रोफेसर अंकित कराना चाहती है ।	एचआरआईएमएस सूची में इनका पदनाम प्रोफेसर कर दिया गया है ।
41	27	Dr.Abha Sinha	Asso Prof Ophthalmology	चस्पा की गई एचआरआईएमएस सूची में उनका पदनाम असिस्टेंट प्रोफेसर अंकित किया गया है । वे एसोसियेट प्रोफेसर के पद पर पदोन्नत हो चुकी है और एचआरआईएमएस सूची में अपना पदनाम एसोसियेट प्रोफेसर अंकित कराना चाहती है ।	एचआरआईएमएस सूची में इनका पदनाम एसोसियेट प्रोफेसर कर दिया गया है ।
42	28	Smt.Bharti Atulkar	Nursing Sister	एच आरआई एम एस की सूची के अनुसार उनका पदनाम स्टाफ नर्स अंकित है । वह अपना पदनाम नर्सिंग सिस्टर अंकित कराना चाहती है ।	एचआरएमआईएस चस्पा की गई सूची में लिपिकीय त्रुटि से उनका पदनाम स्टाफ नर्स अंकित हो गया है । इसे सुधार कर नर्सिंग सिस्टर डीएमई कर दिया गया है ।
43	29	Archana Jadhav	Daily Wages Computer Operator Ayushman Bharat	कार्यालय संयुक्त संचालक सह अस्पताल अधीक्षक में चस्पा की गई एचआरआईएमएस सूची में कर्मचारियों का नाम अंकित नहीं है । कर्मचारियों द्वारा उनका नाम उक्त सूची में जोड़ने हेतु तथा प्रोत्साहन राशि देने हेतु पत्र लिखा गया है ।	।दनाक 16.06.2023 का मडाकल कालज राजनादगाव क कालेज कॉन्सील की बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार जिन कर्मचारियों का मरीज के उपचार में कोई भूमिका होती है उन्हें ही प्रोत्साहन राशि वितरण हेतु पात्र माना जाए तथा जिन कर्मचारियों का मरीज के उपचार में कोई भूमिका नहीं होती उन्हें प्रोत्साहन राशि वितरण हेतु अपात्र माना जाये । इन कर्मचारियों का एचआरआईएमएस आईडी भी नहीं । इन कर्मचारियों को प्रोत्साहन राशि वितरण हेतु अपात्र माना गया है ।
44		Ajay Singh			
45		Sandeep Meshram			
46		Mithilesh Kumar Singh			

47	30	Sanjay Kumar Siwara	Pharmacist	कार्यालय संयुक्त संचालक सह अस्पताल अधीक्षक में चस्पा की गई एचआरआईएमएस सूची में का नाम अंकित नहीं है । कर्मचारी द्वारा उनका नाम उक्त सूची में जोड़ने हेतु तथा प्रोत्साहन राशि देने हेतु पत्र लिखा गया है ।	दिनांक 16.06.2023 को मेडीकल कॉलेज राजनांदगांव के कालेज कॉन्सील की बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार जिन कर्मचारियों का मरीज के उपचार में कोई भूमिका होती है उन्हें ही प्रोत्साहन राशि वितरण हेतु पात्र माना जाए तथा जिन कर्मचारियों का मरीज के उपचार में कोई भूमिका नहीं होती उन्हें प्रोत्साहन राशि वितरण हेतु अपात्र माना जाये । फामासिस्ट को प्रोत्साहन राशि वितरण हेतु पात्र माना गया है ।
48	31	Dr.Rup Narayan Sahu	Senior Resident Surgery	चस्पा की गई एचआरआईएमएस सूची में उनका पदनाम जूनियर रेसीडेंट अंकित किया गया है । वे सिनियर रेसीडेंट के पद पर कार्य कर रहे हैं और एचआरआईएमएस सूची में अपना पदनाम सिनियर रेसीडेंट अंकित कराना चाहते हैं ।	एचआरआईएमएस सूची में इनका पदनाम सिनियर रेसीडेंट कर दिया गया है ।
49	32	Dev Narayan Sinha	Pharmacist	कार्यालय संयुक्त संचालक सह अस्पताल अधीक्षक में चस्पा की गई एचआरआईएमएस सूची में का नाम अंकित नहीं है । कर्मचारी द्वारा उनका नाम उक्त सूची में जोड़ने हेतु तथा प्रोत्साहन राशि देने हेतु पत्र लिखा गया है ।	दिनांक 16.06.2023 को मेडीकल कॉलेज राजनांदगांव के कालेज कॉन्सील की बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार जिन कर्मचारियों का मरीज के उपचार में कोई भूमिका होती है उन्हें ही प्रोत्साहन राशि वितरण हेतु पात्र माना जाए तथा जिन कर्मचारियों का मरीज के उपचार में कोई भूमिका नहीं होती उन्हें प्रोत्साहन राशि वितरण हेतु अपात्र माना जाये । फामासिस्ट को प्रोत्साहन राशि वितरण हेतु पात्र माना गया है ।
50	33	Dr.Tabish Ahmed	Asso Prof Pharamcology	कार्यालय संयुक्त संचालक सह अस्पताल अधीक्षक में चस्पा की गई एचआरआईएमएस सूची में फारमेकोलॉजी विभाग के चिकित्सकों का नाम अंकित नहीं है । विभाग में कार्यरत चिकित्सकों को द्वारा उनका नाम उक्त सूची में जोड़ने हेतु लिखा गया है ।	कार्यालय संयुक्त संचालक सह अस्पताल अधीक्षक में चस्पा की गई एचआरआईएमएस सूची में चैतडंबवसवहल विभाग के चिकित्सकों का नाम अंकित नहीं है । यह इसलिये है । क्योंकि यह सूची आयुष्मान भारत योजना अंतर्गत प्रोत्साहन राशि वितरण हेतु पात्र चिकित्सकों/कर्मचारियों की सूची है । यह प्रोत्साहन राशि उन्हीं चिकित्सकों/कर्मचारियों को दी जानी है, जिनके द्वारा मरीजों के उपचार संबंधित कार्य किया जाता है । इस विभाग के चिकित्सकों को प्रोत्साहन राशि हेतु पात्र नहीं पाया गया ।
51		Dr.Ravi Kumar	Asstt Prof Pharmacology		
52		Dr.Ashish Verma	Asstt Prof Pharmacology		
53		Dr.Shashank Sahu	Demo Pharmacology		
54		Dr. Anamika Gupta	Demo Pharmacology		
55		Dr.Samiksha Khobragade	Demo Pharmacology		
56	34	Ritesh Rangari	Chowkidar	कार्यालय संयुक्त संचालक सह अस्पताल अधीक्षक में चस्पा की गई एचआरआईएमएस सूची में का नाम अंकित नहीं है । कर्मचारियों द्वारा उनका नाम उक्त सूची में जोड़ने हेतु तथा प्रोत्साहन राशि देने हेतु पत्र लिखा गया है ।	दिनांक 16.06.2023 को मेडीकल कॉलेज राजनांदगांव के कालेज कॉन्सील की बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार जिन कर्मचारियों का मरीज के उपचार में कोई भूमिका होती है उन्हें ही प्रोत्साहन राशि वितरण हेतु पात्र माना जाए तथा जिन कर्मचारियों का मरीज के उपचार में कोई भूमिका नहीं होती उन्हें प्रोत्साहन राशि वितरण हेतु अपात्र माना जाये । बिवृपकंत को प्रोत्साहन राशि वितरण हेतु अपात्र माना गया है ।
57		Preetam Netam			
58		Vishambhar Lal Sahu			
59		Sanjay Kumar Soni			
60		Durgesh Kumar Sahu			
61		Gaukaran Singh Thakur			
62	Meghnath Dewangan				
63	35	Dr.Subhash Rawate	Associate Prof Ortho	चस्पा की गई एचआरआईएमएस सूची में उनका पदनाम असिस्टेंट प्रोफेसर अंकित किया गया है । वे एसोसियेट प्रोफेसर के पद पर पदोन्नत हो चुके हैं और एचआरआईएमएस सूची में अपना पदनाम एसोसियेट प्रोफेसर अंकित कराना चाहती है ।	एचआरआईएमएस सूची में इनका पदनाम एसोसियेट प्रोफेसर कर दिया गया है ।





69	41	Ashwini Kumar	Assistant Gr III	कार्यालय संयुक्त संचालक सह अस्पताल अधीक्षक में चरपा की गई एचआरआईएमएस सूची में कर्मचारियों का नाम अंकित नहीं है । कर्मचारियों द्वारा उनका नाम उक्त सूची में जोड़ने हेतु तथा शासन द्वारा वर्ष 2020 की गाईड लाईन अनुरूप प्रशासनिक कर्मचारी को 0.5प्रतिशत प्रोत्साहन राशि देने हेतु पत्र लिखा गया है ।	दिनांक 16.06.2023 को मेडीकल कॉलेज राजनांदगांव के कालेज कॉन्सील की बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार जिन कर्मचारियों का मरीज के उपचार में कोई भूमिका होती है उन्हें ही प्रोत्साहन राशि वितरण हेतु पात्र माना जाए तथा जिन कर्मचारियों का मरीज के उपचार में कोई भूमिका नहीं होती उन्हें प्रोत्साहन राशि वितरण हेतु अपात्र माना जाये । सहायक ग्रेड 3 का प्रोत्साहन राशि वितरण हेतु अपात्र माना गया है ।
70	42	Akash Bhaskar	Assistant Gr III	कार्यालय संयुक्त संचालक सह अस्पताल अधीक्षक में चरपा की गई एचआरआईएमएस सूची में कर्मचारियों का नाम अंकित नहीं है । कर्मचारियों द्वारा उनका नाम उक्त सूची में जोड़ने हेतु तथा शासन द्वारा वर्ष 2020 की गाईड लाईन अनुरूप प्रशासनिक कर्मचारी को 0.5प्रतिशत प्रोत्साहन राशि देने हेतु पत्र लिखा गया है ।	दिनांक 16.06.2023 को मेडीकल कॉलेज राजनांदगांव के कालेज कॉन्सील की बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार जिन कर्मचारियों का मरीज के उपचार में कोई भूमिका होती है उन्हें ही प्रोत्साहन राशि वितरण हेतु पात्र माना जाए तथा जिन कर्मचारियों का मरीज के उपचार में कोई भूमिका नहीं होती उन्हें प्रोत्साहन राशि वितरण हेतु अपात्र माना जाये । सहायक ग्रेड 3 का प्रोत्साहन राशि वितरण हेतु अपात्र माना गया है ।
71	43	Raju Sawalkar	Pharmacist II	कार्यालय संयुक्त संचालक सह अस्पताल अधीक्षक में चरपा की गई एचआरआईएमएस सूची में का नाम अंकित नहीं है । कर्मचारी द्वारा उनका नाम उक्त सूची में जोड़ने हेतु तथा प्रोत्साहन राशि देने हेतु पत्र लिखा गया है ।	दिनांक 16.06.2023 को मेडीकल कॉलेज राजनांदगांव के कालेज कॉन्सील की बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार जिन कर्मचारियों का मरीज के उपचार में कोई भूमिका होती है उन्हें ही प्रोत्साहन राशि वितरण हेतु पात्र माना जाए तथा जिन कर्मचारियों का मरीज के उपचार में कोई भूमिका नहीं होती उन्हें प्रोत्साहन राशि वितरण हेतु अपात्र माना जाये । फार्मासिस्ट को प्रोत्साहन राशि वितरण हेतु पात्र माना गया है ।
72	44	Yogita Netam	Pharmacist II	कार्यालय संयुक्त संचालक सह अस्पताल अधीक्षक में चरपा की गई एचआरआईएमएस सूची में का नाम अंकित नहीं है । कर्मचारी द्वारा उनका नाम उक्त सूची में जोड़ने हेतु तथा प्रोत्साहन राशि देने हेतु पत्र लिखा गया है ।	दिनांक 16.06.2023 को मेडीकल कॉलेज राजनांदगांव के कालेज कॉन्सील की बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार जिन कर्मचारियों का मरीज के उपचार में कोई भूमिका होती है उन्हें ही प्रोत्साहन राशि वितरण हेतु पात्र माना जाए तथा जिन कर्मचारियों का मरीज के उपचार में कोई भूमिका नहीं होती उन्हें प्रोत्साहन राशि वितरण हेतु अपात्र माना जाये । फार्मासिस्ट को प्रोत्साहन राशि वितरण हेतु पात्र माना गया है ।

73	45	Madhumita Sahu	Pharmacist II	कार्यालय संयुक्त संचालक सह अस्पताल अधीक्षक में चरपा की गई एचआरआईएमएस सूची में का नाम अंकित नहीं है । कर्मचारी द्वारा उनका नाम उक्त सूची में जोड़ने हेतु तथा प्रोत्साहन राशि देने हेतु पत्र लिखा गया है ।	दिनांक 16.06.2023 को मेडीकल कॉलेज राजनांदगांव के कालेज कॉन्सील की बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार जिन कर्मचारियों का मरीज के उपचार में कोई भूमिका होती है उन्हें ही प्रोत्साहन राशि वितरण हेतु पात्र माना जाए तथा जिन कर्मचारियों का मरीज के उपचार में कोई भूमिका नहीं होती उन्हें प्रोत्साहन राशि वितरण हेतु अपात्र माना जाये । फामासिस्ट को प्रोत्साहन राशि वितरण हेतु पात्र माना गया है ।
74	46	Pragati Sure	Pharmacist II	कार्यालय संयुक्त संचालक सह अस्पताल अधीक्षक में चरपा की गई एचआरआईएमएस सूची में का नाम अंकित नहीं है । कर्मचारी द्वारा उनका नाम उक्त सूची में जोड़ने हेतु तथा प्रोत्साहन राशि देने हेतु पत्र लिखा गया है ।	दिनांक 16.06.2023 को मेडीकल कॉलेज राजनांदगांव के कालेज कॉन्सील की बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार जिन कर्मचारियों का मरीज के उपचार में कोई भूमिका होती है उन्हें ही प्रोत्साहन राशि वितरण हेतु पात्र माना जाए तथा जिन कर्मचारियों का मरीज के उपचार में कोई भूमिका नहीं होती उन्हें प्रोत्साहन राशि वितरण हेतु अपात्र माना जाये । फामासिस्ट को प्रोत्साहन राशि वितरण हेतु पात्र माना गया है ।
75	47	Bhawna Raikwar	DEO Cum Acctt, SNCU	कार्यालय संयुक्त संचालक सह अस्पताल अधीक्षक में चरपा की गई एचआरआईएमएस सूची में का नाम अंकित नहीं है । कर्मचारी द्वारा उनका नाम उक्त सूची में जोड़ने हेतु तथा प्रोत्साहन राशि देने हेतु पत्र लिखा गया है ।	दिनांक 16.06.2023 का मेडीकल कॉलेज राजनांदगांव के कालेज कॉन्सील की बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार जिन कर्मचारियों का मरीज के उपचार में कोई भूमिका होती है उन्हें ही प्रोत्साहन राशि वितरण हेतु पात्र माना जाए तथा जिन कर्मचारियों का मरीज के उपचार में कोई भूमिका नहीं होती उन्हें प्रोत्साहन राशि वितरण हेतु अपात्र माना जाये । इन कर्मचारियों का प्रोत्साहन राशि वितरण हेतु अपात्र माना गया है । यह कर्मचारी चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर से 18.10.22 का स्थानान्तरण पश्चात चिकित्सा महाविद्यालय राजनांदगांव में आई है । इनका एचआरआईएमएस आईडी चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर से राजनांदगांव स्थानान्तरित नहीं हुआ है । आई डी स्थानान्तरण पश्चात उनका नाम राजनांदगांव के एचआरआईएमएस में अंकित कर दिया गया है ।
76		Smt Rupali Sahu	Feeding Demo, NRC		
77		Ku. Rano Ramteke	ANM NRC		
78		Jitendra Sahu	Attendent NRC		
79		Basanti Sahu	Cook NRC		
80		Madhuri Devi	Physiotherapist NCD		
81	48	Smt. Bhawna Dhruv	Nursing Sister	कार्यालय संयुक्त संचालक सह अस्पताल अधीक्षक में चरपा की गई एचआरआईएमएस सूची में का नाम अंकित नहीं है । कर्मचारी द्वारा उनका नाम उक्त सूची में जोड़ने हेतु तथा प्रोत्साहन राशि देने हेतु पत्र लिखा गया है ।	यह कर्मचारी चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर से 18.10.22 को स्थानान्तरण पश्चात चिकित्सा महाविद्यालय राजनांदगांव में आई है । इनका एचआरआईएमएस आईडी चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर से राजनांदगांव स्थानान्तरित हो गया है । आईडी स्थानान्तरण पश्चात उनका नाम राजनांदगांव के एचआरआईएमएस में अंकित किया जा रहा है ।
82	49	Smt Pushpa Dewangan	Nursing Sister	कार्यालय संयुक्त संचालक सह अस्पताल अधीक्षक में चरपा की गई एचआरआईएमएस सूची में का नाम अंकित नहीं है । कर्मचारी द्वारा उनका नाम उक्त सूची में जोड़ने हेतु तथा प्रोत्साहन राशि देने हेतु पत्र लिखा गया है ।	यह कर्मचारी चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर से 18.10.22 को स्थानान्तरण पश्चात चिकित्सा महाविद्यालय राजनांदगांव में आई है । इनका एचआरआईएमएस आईडी चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर से राजनांदगांव स्थानान्तरित हो गया है । आईडी स्थानान्तरण पश्चात उनका नाम राजनांदगांव के एचआरआईएमएस में अंकित किया जा रहा है ।
83	50	Smt Jiteshwari Sahu	Nursing Sister	एच आरआई एम एस की सूची के अनुसार उनका पदनाम स्टाफ नर्स अंकित है । वह अपना पदनाम नर्सिंग सिस्टर अंकित कराना चाहती है । वह अपना एम्पलाइव आईडी 15170200094 अंकित कराना चाहती है ।	एम्पलाइव आईडी 15170200094 अंकित कर दिया गया है ।

84	51	Smt. Poornima Baghel	Nursing Sister	एच आरआई एम एस की सूची के अनुसार उनका पदनाम स्टाफ नर्स अंकित है । वह अपना पदनाम नर्सिंग सिस्टर अंकित कराना चाहती है ।	एचआरआईएमएस सूची अनुसार इनका नाम पूर्णमा बंजारे है और उनका पदनाम नर्स डीएमई है । उनका नाम व पदनाम स्थापना शाखा के प्रभारी लिपिक के माध्यम से सुधार जा सकता है । हालांकि पदनाम नर्स डीएमई अथवा नर्सिंग सिस्टर होने से प्रोत्साहन राशि में कोई अंतर नहीं होगा ।
85	52	Anita Sahu	Nursing Sister	एच आरआई एम एस की सूची के अनुसार उनका पदनाम स्टाफ नर्स अंकित है । वह अपना पदनाम नर्सिंग सिस्टर अंकित कराना चाहती है ।	एचआरआईएमएस में उनका पदनाम नर्सिंग सिस्टर हो चुका है । हालांकि पदनाम नर्स डीएमई अथवा नर्सिंग सिस्टर होने से प्रोत्साहन राशि में कोई अंतर नहीं होगा ।
86	53	Ruplata Bhandari	Nursing Sister	एच आरआई एम एस की सूची के अनुसार उनका पदनाम स्टाफ नर्स अंकित है । वह अपना पदनाम नर्सिंग सिस्टर अंकित कराना चाहती है ।	एचआरआईएमएस सूची अनुसार उनका पदनाम नर्स डीएमई है । उनका नाम व पदनाम स्थापना शाखा के प्रभारी लिपिक के माध्यम से सुधार जा सकता है ।
87	54	Suchita Neelam Mathews	Nursing Sister	कार्यालय संयुक्त संचालक सह अस्पताल अधीक्षक में चस्पा की गई एचआरआईएमएस सूची में का नाम अंकित नहीं है । कर्मचारी द्वारा उनका नाम उक्त सूची में जोड़ने हेतु तथा प्रोत्साहन राशि देने हेतु पत्र लिखा गया है ।	यह कर्मचारी चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर से 18.10.22 को स्थानान्तरण पश्चात चिकित्सा महाविद्यालय राजनांदगांव में आई है । इनका एचआरआईएमएस आईडी चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर से राजनांदगांव स्थानान्तरित हो गया है । आईडी स्थानान्तरण पश्चात उनका नाम राजनांदगांव के एचआरआईएमएस में अंकित किया जा रहा है ।
88	55	Avinash Patel	Asstt Gr III	कार्यालय संयुक्त संचालक सह अस्पताल अधीक्षक में चस्पा की गई एचआरआईएमएस सूची में कर्मचारियों का नाम अंकित नहीं है । कर्मचारियों द्वारा उनका नाम उक्त सूची में जोड़ने हेतु तथा प्रोत्साहन राशि देने हेतु पत्र लिखा गया है ।	दिनांक 16.06.2023 का मंडीकल कॉलेज राजनांदगांव क कालेज कॉन्सिल की बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार जिन कर्मचारियों का मरीज के उपचार में कोई भूमिका होती है उन्हें ही प्रोत्साहन राशि वितरण हेतु पात्र माना जाए तथा जिन कर्मचारियों का मरीज के उपचार में कोई भूमिका नहीं होती उन्हें प्रोत्साहन राशि वितरण हेतु अपात्र माना जाये । सहायक ग्रेड
89		Laxman Singh			
90		Rahul Sharma			
91		Rahul Kumar			
92	56	Ku. Pushplata Marawi	Coding Clerk	कार्यालय संयुक्त संचालक सह अस्पताल अधीक्षक में चस्पा की गई एचआरआईएमएस सूची में कर्मचारियों का नाम अंकित नहीं है । कर्मचारियों द्वारा उनका नाम उक्त सूची में जोड़ने हेतु तथा प्रोत्साहन राशि देने हेतु पत्र लिखा गया है ।	दिनांक 16.06.2023 को मेडीकल कॉलेज राजनांदगांव के कालेज कॉन्सिल की बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार जिन कर्मचारियों का मरीज के उपचार में कोई भूमिका होती है उन्हें ही प्रोत्साहन राशि वितरण हेतु पात्र माना जाए तथा जिन कर्मचारियों का मरीज के उपचार में कोई भूमिका नहीं होती उन्हें प्रोत्साहन राशि वितरण हेतु अपात्र माना जाये । एमआर.डी के कोडिंग क्लर्क को प्रोत्साहन राशि वितरण हेतु अपात्र माना गया है ।
93	57	Dr.Narendra Patel	MO	कार्यालय संयुक्त संचालक सह अस्पताल अधीक्षक में चस्पा की गई एचआरआईएमएस सूची में कर्मचारियों का नाम अंकित नहीं है । कर्मचारियों द्वारा उनका नाम उक्त सूची में जोड़ने हेतु तथा प्रोत्साहन राशि देने हेतु पत्र लिखा गया है ।	इनका नाम एचआरआईएमएस पोर्टल में नहीं दिख रहा है । अगर उनका नाम पोर्टल में अंकित होगा तो उन्हें प्रोत्साहन राशि दी जा सकती है ।
94	58	Pushpendra Kumar Dongare	Ward Boy	कार्यालय संयुक्त संचालक सह अस्पताल अधीक्षक में चस्पा की गई एचआरआईएमएस सूची में कर्मचारियों का नाम अंकित नहीं है । कर्मचारियों द्वारा उनका नाम उक्त सूची में जोड़ने हेतु तथा प्रोत्साहन राशि देने हेतु पत्र लिखा गया है ।	यह कर्मचारी सिम्स बिलासपुर से स्थानान्तरण पश्चात चिकित्सा महाविद्यालय राजनांदगांव में आई है । इनका एचआरआईएमएस आईडी सिम्स बिलासपुर से राजनांदगांव स्थानान्तरित नहीं हुआ है । आई स्थानान्तरण पश्चात उनका नाम राजनांदगांव के एचआरआईएमएस में अंकित किया जा सकता है ।

95	59	Dr.Smriti Bandhu	Asso Prof Anaesthesia	चस्पा की गई एचआरआईएमएस सूची में उनका पदनाम असिस्टेंट प्रोफेसर अंकित किया गया है । वे एसोसियेट प्रोफेसर के पद पर पदोन्नत हो चुकी है और एचआरआईएमएस सूची में अपना पदनाम एसोसियेट प्रोफेसर अंकित कराना चाहती है ।	एचआरआईएमएस सूची में इनका पदनाम एसोसियेट प्रोफेसर कर दिया गया है ।
96	60	Gajendra Kumar Netam	Pump Attendent	कार्यालय संयुक्त संचालक सह अस्पताल अधीक्षक में चस्पा की गई एचआरआईएमएस सूची में कर्मचारियों का नाम अंकित नहीं है । कर्मचारियों द्वारा उनका नाम उक्त सूची में जोड़ने हेतु तथा प्रोत्साहन राशि देने हेतु पत्र लिखा गया है ।	यह कर्मचारी चिकित्सा महाविद्यालय महासमुंद से स्थानान्तरण पश्चात चिकित्सा महाविद्यालय राजनांदगांव में आई है । इनका एचआरआईएमएस आईडी चिकित्सा महाविद्यालय महासमुंद से राजनांदगांव स्थानान्तरित नहीं हुआ है । आई स्थानान्तरण पश्चात उनका नाम राजनांदगांव के एचआरआईएमएस में अंकित किया जा सकता है । दिनांक 16.06.2023 को कॉलेज कौंसिल की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार पम्प अटेंटेड को प्रोत्साहन राशि हेतु अपात्र माना गया है ।
97	61	Dr.Jyotsana Victor	Asso Prof Anaesthesia	वे दिनांक 26.09.2016 से 14.12.21 तक निश्चेतना विभाग में सहप्राध्यापक के रूप में कार्यरत थी । दिनांक 14.12.2021 को उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया था । दिनांक 22.08.2022 से वे पुनः उसी पद पर संविदा आधार पर कार्यरत है । उन्होंने अपनी जानकारी एचआरआईएमएस पोर्टल पर अपडेट करने की कोशिश की है जो कि नहीं हो सकी है । वे अपनी जानकारी पोर्टल पर अपडेट करना चाहती है ।	उनकी जानकारी एचआरआईएमएस पोर्टल पर अपडेट है ।
98	62	Shailendra Kumar Sahu	Coding Clerk	कार्यालय संयुक्त संचालक सह अस्पताल अधीक्षक में चस्पा की गई एचआरआईएमएस सूची में कर्मचारियों का नाम अंकित नहीं है । कर्मचारियों द्वारा उनका नाम उक्त सूची में जोड़ने हेतु तथा प्रोत्साहन राशि देने हेतु पत्र लिखा गया है ।	दिनांक 16.06.2023 को मेडीकल कॉलेज राजनांदगांव के कालेज कॉन्सिल की बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार जिन कर्मचारियों का मरीज के उपचार में कोई भूमिका होती है उन्हें ही प्रोत्साहन राशि वितरण हेतु पात्र माना जाए तथा जिन कर्मचारियों का मरीज के उपचार में कोई भूमिका नहीं होती उन्हें प्रोत्साहन राशि वितरण हेतु अपात्र माना जाये । एमआर.डी के कोडिंग क्लर्क को प्रोत्साहन राशि वितरण हेतु अपात्र माना गया है ।
99	63	Dr.Naresh Kumar Vatwani	Senior Resident Radiology	वे अपनी जानकारी एचआरआईएमएस पोर्टल वा अपडेट करना चाहते है । परन्तु पोर्टल पर उनका पासवर्ड गलत बता रहा है । वे उक्त पोर्टल पर अपना पासवर्ड रीसेट कराना चाह रहे है ।	इस हेतु स्टेट नोडल एजेसी हो सुचना भेजी गयी है ।

100	64	Ku. Shikha Yadav	Computer Operator	कार्यालय संयुक्त संचालक सह अस्पताल अधीक्षक में चस्पा की गई एचआरआईएमएस सूची में कर्मचारियों का नाम अंकित नहीं है। कर्मचारियों द्वारा उनका नाम उक्त सूची में जोड़ने हेतु तथा प्रोत्साहन राशि देने हेतु पत्र लिखा गया है।	दिनांक 16.06.2023 को मेडीकल कॉलेज राजनांदगांव के कालेज कॉन्सिल की बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार जिन कर्मचारियों का मरीज के उपचार में कोई भूमिका होती है उन्हें ही प्रोत्साहन राशि वितरण हेतु पात्र माना जाए तथा जिन कर्मचारियों का मरीज के उपचार में कोई भूमिका नहीं होती उन्हें प्रोत्साहन राशि वितरण हेतु अपात्र माना जाये। एमआर.डी के कम्प्यूटर ऑपरेटर को प्रोत्साहन राशि वितरण हेतु अपात्र माना गया है।
101	65	Dr.Jyoti Chowdhary	Senior Resident Pathology	कार्यालय संयुक्त संचालक सह अस्पताल अधीक्षक में चस्पा की गई एचआरआईएमएस सूची में कर्मचारियों का नाम अंकित नहीं है। कर्मचारियों द्वारा उनका नाम उक्त सूची में जोड़ने हेतु तथा प्रोत्साहन राशि देने हेतु पत्र लिखा गया है।	सूची चस्पा होने के दिनांक तक उन्होंने अपनी जानकारी एचआरआईएमएस पोर्टल में इन्द्राज नहीं की थी। इस लिये उनका नाम सूची में नहीं था। अब चूंकि उन्होंने अपना नाम एचआरआईएमएस पोर्टल में इन्द्राज कर दिया है। अतः उनका नाम प्रोत्साहन राशि हेतु एचआरआईएमएस सूची में जोड़ा जा सकता है।
102	66	Bhupat Ram Koma	Sweeper	चस्पा की गई सूची अनुसार लगभग 40 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी चिकित्सा महाविद्यालय में कार्यरत है। उनका मरीज के उपचार में कोई कार्य नहीं होता। अतः उन्होंने प्रोत्साहन राशि वितरित नहीं की जाये।	दिनांक 16.06.2023 को कॉलेज कौंसिल की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार जिन कर्मचारियों का मरीज के उपचार में कोई कार्य नहीं है उन्हें प्रोत्साहन राशि न दी जाये। सूची में लिखे गये 40 कर्मचारियों के कार्य की जानकारी ली जायेगी। अगर वे मरीज के उपचार संबंधित कार्य में सहयोग नहीं कर रहे होंगे तो उन्हें अपात्र घोषित किया जायेगा।
103	67	Smt. Bharti Verma	Nursing Sister	एच आरआई एम एस की सूची के अनुसार उनका पदनाम अंकित नहीं है। वह अपना पदनाम नर्सिंग सिस्टर अंकित कराना चाहती है।	एचआरआईएमएस सूची अनुसार उनका पदनाम नर्स डीएमई है। उनका नाम व पदनाम स्थापना शाखा के प्रभारी लिपिक के माध्यम से सुधार जा सकता है। हालांकि पदनाम नर्स डीएमई अथवा नर्सिंग सिस्टर होने से प्रोत्साहन राशि में कोई अंतर नहीं होगा।
104	68	Dr.Vishwanath Bhagat	Senior Resident Surgery	कार्यालय संयुक्त संचालक सह अस्पताल अधीक्षक में चस्पा की गई एचआरआईएमएस सूची में कर्मचारियों का नाम अंकित नहीं है। कर्मचारियों द्वारा उनका नाम उक्त सूची में जोड़ने हेतु तथा प्रोत्साहन राशि देने हेतु पत्र लिखा गया है।	इन्होंने सूची चस्पा होने के बाद एचआरआईएमएस की जानकारी पोर्टल पर अंकित की है। इन्होंने अपनी आईडी में बैंक संबंधित जानकारी व अन्य जानकारी अपडेट नहीं की है। इस लिये जानकारी अपडेट होने तक इन्हें प्रोत्साहन राशि दिया जाना संभव नहीं होगा।
105	69	Dr.Agantuk Kanwar	Senior Resident Ortho	कार्यालय संयुक्त संचालक सह अस्पताल अधीक्षक में चस्पा की गई एचआरआईएमएस सूची में कर्मचारियों का नाम अंकित नहीं है। कर्मचारियों द्वारा उनका नाम उक्त सूची में जोड़ने हेतु तथा प्रोत्साहन राशि देने हेतु पत्र लिखा गया है।	इन्होंने सूची चस्पा होने के बाद एचआरआईएमएस की जानकारी पोर्टल पर अंकित की है। इन्होंने अपनी आईडी में बैंक संबंधित जानकारी व अन्य जानकारी अपडेट नहीं की है। इस लिये जानकारी अपडेट होने तक इन्हें प्रोत्साहन राशि दिया जाना संभव नहीं होगा।
106	70	Dr.Lily Sharon Priyadarshini k	Senior Resident Anaesthesia	कार्यालय संयुक्त संचालक सह अस्पताल अधीक्षक में चस्पा की गई एचआरआईएमएस सूची में कर्मचारियों का नाम अंकित नहीं है। कर्मचारियों द्वारा उनका नाम उक्त सूची में जोड़ने हेतु तथा प्रोत्साहन राशि देने हेतु पत्र लिखा गया है।	इन्होंने सूची चस्पा होने के बाद भी एचआरआईएमएस की जानकारी पोर्टल पर अंकित नहीं की है। इन्होंने अपनी आईडी में बैंक संबंधित जानकारी व अन्य जानकारी अपडेट नहीं की है। इस लिये जानकारी अपडेट होने तक इन्हें प्रोत्साहन राशि दिया जाना संभव नहीं होगा।

107	71	Dr.Praveen Kumar Thakur	Demo PSM	कार्यालय संयुक्त संचालक सह अस्पताल अधीक्षक में चस्पा की गई एचआरआईएमएस सूची में कर्मचारियों का नाम अंकित नहीं है। कर्मचारियों द्वारा उनका नाम उक्त सूची में जोड़ने हेतु तथा प्रोत्साहन राशि देने हेतु पत्र लिखा गया है।	इन्होंने सूची चस्पा होने के बाद एचआरआईएमएस की जानकारी पोर्टल पर अंकित की है। अब उनका नाम सूची में चस्पा डाटा जा सकता है। परन्तु चूंकि ये मरीज के उपचार हेतु किसी विभाग में कार्य नहीं करते हैं, ये प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने अपात्र है।
108	72	Jatin Hirwani	Asstt Gr III	कार्यालय संयुक्त संचालक सह अस्पताल अधीक्षक में चस्पा की गई एचआरआईएमएस सूची में कर्मचारियों का नाम अंकित नहीं है। कर्मचारियों द्वारा उनका नाम उक्त सूची में जोड़ने हेतु तथा प्रोत्साहन राशि देने हेतु पत्र लिखा गया है।	दिनांक 16.06.2023 को मेडीकल कॉलेज राजनांदगांव के कालेज कॉन्सील की बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार जिन कर्मचारियों का मरीज के उपचार में कोई भूमिका होती है उन्हें ही प्रोत्साहन राशि वितरण हेतु पात्र माना जाए तथा जिन कर्मचारियों का मरीज के उपचार में कोई भूमिका नहीं होती उन्हें प्रोत्साहन राशि वितरण हेतु अपात्र माना जाये। सहायक ग्रेड 3 को प्रोत्साहन राशि वितरण हेतु अपात्र माना गया है।
109	73	Smt Lata Tamboli	ANM	विवाह से पूर्व उनका नाम लता रजक था। विवाह पश्चात उनका नाम तांबोली हो गया है। एचआरआईएमएस पोर्टल में वे अपना नाम बदलकर लता तांबोली करना चाहती है।	एचआरआईएमएस पोर्टल पर उनके नाम का बदलाव स्थापना लिपिक के माध्यम से किया जा सकता है।

<b>Applications with Problems</b>	<b>No. of Applications</b>	<b>GMC JDLP</b>
Drivers	4	N
Statistician MRD	1	N
Pump Attendent	3	N
Carpainter (2) & Tailor (1)	1	N
DW AB Comp Operator	1	
Pharmacists	6	Y with SN
Chowkidar (7)	1	N
Asstt Gr III (8)	5	N

<b>NRC Staff (6)</b>	<b>1</b>	<b>Names NA in Working emp list</b>
<b>Coding Clerk</b>	<b>2</b>	<b>N</b>
<b>Computer Operator MRD</b>	<b>1</b>	<b>N</b>
<b>Class IV Staff of College (40)</b>	<b>1</b>	<b>N</b>
<b>Virology DEO</b>	<b>4</b>	<b>N</b>



<b>Total</b>	<b>31</b>	
--------------	-----------	--